## न्यायालयः— अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र० समक्ष—डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 100054 / 2016 वैवाहिक अंतरसिंह रावत पुत्र श्री रामसिंह आयु 52 साल जाति रावत निवासी ग्राम पिपाहडी परगना गोहद हाल जल संसाधन विभाग गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

मीना रावत पत्नी अंतरिसंह पुत्री स्वर्गीय श्री मुन्नालाल आयु 50 साल जाति रावत निवासी मकान नं. 196 श्री नगर डालेसर रोड थाना उत्तर जिला फिरोजावाद

-----अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री सागरसिंह कंसाना अधिवक्ता अनावेदिका एकपक्षीय

\_\_\_\_\_\_

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 6-1-2017 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक / याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अनावेदिका / गैर्याचिकाकर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी है, उसे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

02. आवेदक / याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह गैरयाचिका कर्ता के साथ दिनांक फरवरी 1981 को विधिवत् हिन्दू रीति रिवास के अनुसार हुआ था । आवेदक के साथ अनावेदिका कुछ समय तक ठीक ठाक रही उसके पश्चात् आये दिन अनावेदिका आवेदक से झगडा फसाद करने लगी और वह आज से करीब 25 वर्ष पूर्व दिनांक 27-4-91 को वगैर बताए स्वेच्छया। पूर्वक अपने मायके फिरोजावाद

चली गई । आवेदक शासकीय कार्य से ग्वालियर गया हुआ था । अनावेदिका को रामस्वरूप फिरोजावाद तथा सुरेश इटावा का अपने साथ ले गया था और बच्चों को अनावेदिका यहीं घर पर छोडकर अकेली चली गई थी । अनावेदिका जाते समय अपने साथ 1600/-रूपये नगद एक जोडी पायजेवी चांदी की 250 ग्राम की करधोनी चांदी की 500 ग्राम चांदी की, एक अंगूठी सोने की, कान के फूल सोने के, सोने की एक जनानी अंगूठी, जिसका बजन करीब 4 तोला को अपने साथ ले गई थी । आवेदक एवं अनावेदिका के संसर्ग से दो लडकी जिनके नाम नीतू एवं गीता तथा एक लडका भारत पैदा हुआ जिसका लालन पालन आवेदक द्वारा किया जाता रहा । आवेदक से अनावेदिका का पिता वर्ष 1999 में 20 हजार रूपये उधार लेकर गया था जिनको अनेक बार मांग करने पर भी नहीं दिये गये इस वजह से अनावेदिका आवेदक पर दवाब डालकर स्वच्छंदता पूर्वक जीवन यापन करने लगी और अन्यत्र जगहों पर 10—15 दिन तक रहने लगी । आवेदक से अनावेदिका पत्नी के संबंधों से विरक्त हो गई और आये दिन कलह करने लगी । वर्ष 1991 से अपने मायके फिरोजावाद में गहने रूपयों के साथ स्थाई रूप से रहने लगी और पत्नी धर्म का पालन नहीं किया तभी से वह अपने मायके में स्वच्छदंता पूर्वक रह रही है । आवेदक अनावेदिका को लेने फिरोजावाद गया लेकिन उसने साथ आने से साफ इन्कार कर दिया और पत्नी धर्म का पालन नहीं किया । आवेदक के द्वारा अपने बच्चों को हाथों से बनाकर खिलाया व बच्चों को बडा किया व उनकी शादी की । आवेदक करवा पिपाहडी थाना गोहद का स्थायी निवासी है इस कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतगर्त होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिकी प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

03. अनावेदिका न्यायालय के द्वारा जारी रिजस्ट्री समंस जारी किए जाने के उपरांत उक्त संमंस लेने से इन्कार की टीप के साथ वापिस न्यायालय को प्राप्त होने पर अनावेदिका के उपस्थित न होने के कारण दिनांक 14.12.16 को उसके अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

04. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

क्या आवेदक वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करा पाने का अधिकारी है ? —::सकारण निष्कर्ष::—

05. याचिकाकर्ता / आवेदक की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में आवेदक अतरिसंह साक्षी कं01 का तथा साक्षी भारतिसंह आ.सा. 2 के शपथपत्र पेश किए है। आवेदक अतरिसंह के द्वारा अपने शपथपत्र में दिए गए साक्ष्य में आवेदनपत्र. के अभिवचनों का समर्थन

करते हुए बताया है कि उसका विवाह गैरयाचिका कर्ता के साथ दिनांक फरवरी 1981 को विधिवत् हिन्दू रीति रिवास के अनुसार हुआ था । आवेदक के साथ अनावेदिका कुछ समय तक ठीक ठांक रही उसके पश्चात् आये दिन अनावेदिका आवेदक से झगडा फसांद करने लगी और वह आज से करीब 25 वर्ष पूर्व दिनांक 27-4-91 को वगैर बताए स्वेच्छया। पूर्वक अपने मायके फिरोजावाद चली गई । आवेदक शासकीय कार्य से ग्वालियर गया हुआ था । अनावेदिका को रामस्वरूप फिरोजावाद तथा सुरेश इटावा का अपने साथ ले गया था और बच्चों को अनावेदिका यहीं घर पर छोडकर अकेली चली गई थी । अनावेदिका जाते समय अपने साथ 1600 / – रूपये नगद एक जोडी पायजेवी चांदी की 250 ग्राम की करधोनी चांदी की 500 ग्राम चांदी की, एक अंगूठी सोने की, कान के फूल सोने के, सोने की एक जनानी अंगूठी, जिसका बजन करीब 4 तोला को अपने साथ ले गई थी । आवेदक एवं अनावेदिका के संसर्ग से दो लडकी जिनके नाम नीतू एवं गीता तथा एक लडका भारत पैदा हुआ जिसका लालन पालन आवेदक द्वारा किया जाता रहा । आवेदक से अनावेदिका का पिता वर्ष 1999 में 20 हजार रूपये उधार लेकर गया था जिनको अनेक बार मांग करने पर भी नहीं दिये गये इस वजह से अनावेदिका आवेदक पर दवाब डालकर स्वच्छंदता पूर्वक जीवन यापन करने लगी और अन्यत्र जगहों पर 10-15 दिन तक रहने लगी । आवेदक से अनावेदिका पत्नी के संबंधों से विरक्त हो गई और आये दिन कलह करने लगी । वर्ष 1991 से अपने मायके फिरोजावाद में गहने रूपयों के साथ स्थाई रूप से रहने लगी और पत्नी धर्म का पालन नहीं किया तभी से वह अपने मायके में स्वेच्छया पूर्वक रह रही है । आवेदक अनावेदिका को लेने फिरोजावाद गया लेकिन उसने साथ आने से साफ इन्कार कर दिया और पत्नी धर्म का पालन नहीं किया । आवेदक के द्वारा अपने बच्चों को हाथों से बनाकर खिलाया व बच्चों को बडा किया व उनकी शादी की । आवेदक के द्वारा थना गोहद में अनावेदिका का उसे छोडकर चले जाने के संबंध में रिपोर्ट की थी जिसकी कार्बन प्रति पेश की है जो प्र0ए1 है ।

06. जहां तक अनावेदिका के द्वारा सोने चांदी के गहने एवं नगदी ले जाने का प्रश्न है इस संबंध में आवेदक के द्वारा पुलिस थाना गोहद में रिपोर्ट किये जाने के संबंध में रिपोर्ट की कार्बन प्र0ए1 पेश की है जो कि अदम चेक रिपोर्ट दिनांक 27—4—91 की है | उक्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के द्वारा अनावेदिका के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी हो अथवा इस संबंध में कोई प्रकरण आदि अनावेदिका के विरुद्ध दर्ज हुआ हो, ऐसा कोई प्रमाण आवेदक की ओर से पेश नहीं किया गया है | मात्र इस आधार पर कि अनावेदिका के द्वारा गहने आदि ले जाने के संबंध में पुलिस को रिपोर्ट की गयी है | जबिक इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण रशीद आदि उक्त गहने आदि खरीदने के संबंध में पेश नहीं किये हैं |

## 4 प्र0कं0 100054 / 2016 वैवाहिक

07. उपरोक्त तथ्य के अतिरिक्त जहां तक आवेदक के द्वारा शपथपत्र में बताये गये शेष कथन का जहां तक प्रश्न है उक्त संबंध में कोई भी प्रतिपरीक्षण आवेदक का नहीं हुआ है । इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के अभाव में उपरोक्त शपथपत्र में किये गये अन्य कथन अखण्डनीय रहे है।

08. आवेदक अंतरिसंह के द्वारा किये गए कथन की पुष्टि कि अनावेदिका बिना युक्ति युक्त एवं प्याप्त कारण के आवेदक से पृथक रह रही है आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी भारतिसंह आ.सा. 2 के कथनों से भी आवेदक के द्वारा किये गए उपरोक्त अभिकथनों का समुचित रूप से समर्थन या सम्पुष्टि हुई है, उक्त साक्षीगण का भी कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथन भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहे है।

09. इस प्रकार आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें आवेदक अतरिसंह का अखण्डनीय साक्ष्य जिसकी सम्पुष्टि अन्य साक्षी भारतिसंह आ.सा. 2 आ.सा.3 के कथनों से भी होती है। उक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहिता पत्नी है के द्वारा आवेदक का बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों से परित्याग किया गया है तथा आवेदक को वह दाम्पत्य संबंधों से बंचित किए हुए है।

10. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है:—

1—अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, वह आदेश के तीन माह के अंदर आवेदक के साथ रहकर पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे। 2—प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेगें।

3—अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची मुताविक जो भी कम हो देय होगा। तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी0थूपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड (डी0सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड